तार "केन्द्रीय निधि" नई दिल्ली
Telegram: "KENDRIYA NIDHI" New Delhi
ई-मेल/E-Mail:dir.ol.epfindia.gov.in
dydirepfo@rediffmail.com

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX : 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या:हि.अ. 8(7)/10/हिन्दी पखवाड़ा/2963 दिनांक 11 अगस्त AUG 2010

सेवा में,

1. सभी अपर केन्द्रीय आयुक्त (अंचल)
2. निदेशक (नाटरस)
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा) मुख्यालय सहित
5. सभी प्रभारी अधिकारी, उपक्षेत्रीय कार्यालय

विषय : **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित करने के संबंध में ।**

महोदय,

जैसाकि विदित है कि 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है । पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में संगठन के सभी कार्यालयों में 14.09.2010 से 28.09.2010 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । कृपया हिन्दी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए :-

→ प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रधान अपने कार्यालयों में राजभाषा को बढ़ावा देने की गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि का संचालन एवं पर्यवेक्षण करें ।

→ इस वर्ष हिन्दी दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिन्दी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।

→ सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिन्दी में तैयार किए जाएं । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वंय हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें । इससे हिन्दी में कार्य को प्रतिष्ठा / सम्मान से जुड़ने में मदद मिलेगी ।

→ विभाग की वेब-साइट में सम्पूर्ण सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाली जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि हिन्दी वेब-साइट अंग्रेजी वेब-साइट के साथ-साथ अद्यतित की जा रही है ।

→ भारत जैसे बहुभाषी देश में ई-गवर्नेस लागू करने में मानक एनकोडिंग एक आवश्यक आधार है । अत: प्रत्येक कम्प्यूटर पर हिन्दी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड में प्रयोग के लिए सक्रिय कर दिया जाए ।

→ उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चाओं में मौखिक तथा लिखित रूप में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ।

→ ई-मेल के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।

→ राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।

......2...जारी

→ कार्यालय भवन के मुख्य द्वार एवं कार्यालय के अंदर समुचित स्थलों पर दो या तीन बैनर अवश्य लगाए जाएं ।
→ इस दौरान एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी अवश्य किया जाए ।
→ सभी अनुभागों की फाइलों आदि में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं ।
→ हिन्दी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए ।
→ हिन्दी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण हेतु मुख्य समारोह का भव्य आयोजन किया जाए । समापन समारोह में हिन्दी के किसी प्रतिष्ठित विद्वान अथवा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है ।

आपसे अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक "क"** पर संलग्न है ।

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	1200/- रूपये	1100/- रूपये	1000/- रूपये
2.	विचार प्रतियोगिता	1200/- रूपये	1100/- रूपये	1000/- रूपये
3.	निबंध प्रतियोगिता	1200/- रूपये	1100/- रूपये	1000/- रूपये
4.	अन्तर अनुभागीय शील्ड प्रतियोगिता	1200/- रूपये नकद तथा शील्ड हेतु 300/- रूपये अनुमानित		

साथ ही, **'ग' क्षेत्र** में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाने वाली हिन्दी निबंध लेखन (हिन्दीतर भाषी) प्रतियोगिता को सितम्बर माह में ही आयोजित किया जाए । इस प्रतियोगिता की अन्य शर्तें पूर्व में जारी स्कीम के अनुसार होंगी । इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार की राशि का भुगतान निम्नानुसार कल्याण निधि (वेलफेयर फण्ड) से संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

→ **प्रथम पुरस्कार (एक)** - **600/- रूपये**
→ **द्वितीय पुरस्कार (एक)** - **400/- रूपये**
→ **तृतीय पुरस्कार (एक)** - **200/- रूपये**
→ **सान्त्वना पुरस्कार (तीन)** - **100/- रूपये प्रत्येक**

कृपया इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को समय से भेज दी जाए ।

भवदीय,

(राजेश बंसल)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) एवं
प्रभारी राजभाषा
10/08/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी अंचल ।
2. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा दल ।
3. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
4. सभी उपनिदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा) ।
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II, एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(राजवीर सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)
10/08/10.

अनुलग्नक "क"

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)
नई दिल्ली-110066

विषय : **14 सितम्बर, 2010 से 28 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन - प्रतियोगिताओं का ब्यौरा एवं दिशा-निर्देश ।**

1. **हिन्दी टिप्पण / आलेखन प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता में चुने हुए विषयों पर दो टिप्पण तथा दो पत्र लेखन पूछे जायेंगे तथा प्रश्न-पत्र में तीन-तीन टिप्पण / आलेखन विकल्प के तौर पर दिये जायेंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णांक 100 होंगे । प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे ।

2. **हिन्दी निबंध प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णांक 100 होंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को तीन विषय दिए जाएंगे जिसमें एक विषय चुनने का विकल्प रहेगा ।

3. **विचार प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता का समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 5 मिनट का रहेगा ।

(ख) इसके मूल्यांकन के लिए तीन निर्णायकों की समिति बनाई जाएगी तथा प्रत्येक निर्णायक को अधिकतम 10 अंक देने का अधिकार होगा । इस प्रकार प्रतियोगिता 30 अंकों की निर्धारित रहेगी ।

(ग) विषय के संबंध में प्रतिभागी को एक दिन पहले नोटिस बोर्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा ।

(घ) प्रतियोगी पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं ।

4. **अन्तर अनुभागीय शील्ड प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता के लिए 01 अप्रैल, 2010 से 31 अगस्त, 2010 के दौरान किए गए कार्य के आधार पर निर्णय किया जाएगा ।

(ख) इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार की राशि 1200/- रूपये निर्धारित रहेगी तथा यह राशि शील्ड विजेता अनुभाग के कर्मचारियों में बराबर वितरित की जायेगी ।

(ग) इस प्रतियोगिता के लिए 3 अधिकारियों की समिति का गठन किया जायेगा जो अप्रैल, 2010 से अगस्त, 2010 के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेंगे ।

——x——x——.